लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

अधिशासी अभियन्ता परियोजना खण्ड, ऋषिकेश के माह 08/2015 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा सर्व श्री एस.एस. दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री शेखर वर्मा, व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03/09/2016 से 12/09/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत संपादित लेखापरीक्षा का निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **अधिशासी अभियन्ता परियोजना खण्ड, ऋषिकेश** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहारादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावना:-

इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री एस.एस. दरियाल,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, मनोज कुमार,पर्यवेक्षक एवं जयंत प्रकाश, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23/03/2015 से 27/03/2015 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 23/03/2015 से 27/03/2015 तक में सम्पन्न हुई थी जिसमे खण्ड के माह 03/2011 से 02/2015 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2015 से 08/2016 तक के लेखाभिलेखों की समान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं ने खण्ड का कार्यभार संभाले रखा।

1- श्री एल.आर.आर्य - 03/2015 से 07.07.2015 तक

2- श्री पुरूषोत्तम - 08.07.2015 से वर्तमान तक

3. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे:-

1- श्री पी.के.धवन

2- संजीव नेगी

3- विपिन

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि के दौरान का निरीक्षण।

5- खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमश: फरवरी 2015 एवं फरवरी 2015 तक की गई।

6- फार्म 51: माह 05/2014 तक कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-

भाग प्रथम (-) 15027/-

भाग द्वितीय शून्य

7- खण्ड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह 08/2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 103423498.00

(ख) सामग्री क्रय परिशोधन ` शून्य

(ग) नकद परिशोधन ` शून्य

(घ) निक्षेप ` 143.12 लाख

8- पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति मिम्नवत थी:-

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर		
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'	STAN
1.	67/2004-05	Nil	Nil	2
2.	98/2005-06	1,2	2	Nil
3.	92/2010-11	-	1	-
4.	114/2014-15	-	1,2,3,4	1

8. अप्रस्तुत अभिलेख:- शून्य

9. सतत अनियमिततायँ:- शून्य

10. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

वित्तीय वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय (करोड़ में)
2014-15		402.53	402.51
2015-16		545.28	516.15
2016-17 (up to Aug. 2016)		189.55	167.05

भाग दो ब

प्रस्तरः 1 उप खनिजो पर रू0 12083.34 रायल्टी कम वसूली।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 211/VII-1/24-ख/2007 देहरादून दिनांक 26 फरवरी 2016 को विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू या मोरम बजरी या वोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो की विद्यमान रायल्टी की दरें 50.00 प्रति टन या ` 90.00 प्रति धनमीटर के स्थान पर ` 194.50 प्रति धनमीटर प्रतिस्थापित किया गया था तथा शासनादेश में स्पष्टतः यह उल्लिखित है कि यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। इसके अनुसार खण्ड के द्वारा प्रतिस्थापित रायल्टी की दर ` 194.50 प्रति धनमीटर के स्थान पर ` 90.00 एवं ` 80.00 प्रति घनमीटर पुरानी दरों से ही वसूला जा रहा है। पुरानी दरों से ही उप खनिजों पर रायल्टी की कटौती किये जाने के कारण कुल ;14.56+23.14+54.40+23.53 (115.63 घनमीटर) ` 90.00 (पुरानी दर) ` 10406.70 की कटौती की गयी है। जबकि 115.63 घन मी. ` 194.50 प्रतिस्थापित दर ` 22490.035 की कटौती की जानी थी। इस प्रकार ` 10406.70 -22490.035 ` 12083.335 की कम रायल्टी कटौती की गयी।

इसे इंगित करने पर खण्ड ने उत्तर में बताया कि इस कार्यालय को शासनादेश प्राप्त न होने के कारण पुरानी दरों से ही कटौती की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगतनीय है कि रायल्टी की बढी हुई दरें दिनांक 26/2/2016 से प्रभावी हुई है। अतः 26/2/2016 के बाद की रायल्टी दरों में तदनुसार संशोधन कर वसूली की जायेगी। खण्ड के उत्तर से स्पष्ट है कि ` 12083.34 रायल्टी कम कटौती की गई थी। अतः ` 12083.34 रायल्टी कम वसूले जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग **अधिशासी अभियन्ता परियोजना खण्ड, ऋषिकेश** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II